निबंधित

संचिका संख्या-ए0/नोट-44/15................................/जे0,

विधि विभाग

बिहार सरकार

प्रेषक,

मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बक्सर।

पटना, दिनांक-....................

विषय:- नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को मूल में वापस लौटाने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंग में कहना है कि आपके न्यायमंडल में कार्यरत अधिवक्ताओं से नोटरी के पद पर नियुक्ति हेतु आपके द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्रों में से निम्नांकित आवेदन पत्रों को त्रुटिपूर्ण रहने के कारण मूल में लौटाया जाता है। प्रत्येक आवेदन पत्र में त्रुटि से संबंधित सूची संलग्न है। इस संबंध में लौटाये जा रहे आवेदन पत्रों को संबंधित अधिवक्ताओं को भेजते/प्राप्त कराते हुए इन्हें कृपया निदेशित किया जाय कि वे संबंधित त्रुटियों को दूर कर आपके माध्यम से आवेदन पत्र को आपके कार्यालय में प्राप्ति तिथि से **15 दिन के अन्दर** त्रुटि सुधार कर आपके कार्यालय में प्राप्त करायें जिसे आपके कार्यालय द्वारा शीघ्र विधि विभाग को समय सीमा के अन्दर स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कराया जाय अन्यथा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत समझा जायेगा तथा बाद में प्राप्त किसी आपत्ति/अनुरोध पर कोई विचार नही किया जायेगा।

इस संबंध में आवश्यक सूचना विधि विभाग के वेबसाईट-www.law.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

अनु0:- संलग्न सूची एवं आवेदन पत्र।

विश्वासभाजन

ह0/-

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-.........5655.........../जे0, पटना, दिनांक-....04-09-15....

प्रतिलिपि:- सचिव, जिला विधिक संघ **बक्सर** एवं संबंधित अधिवक्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- संलग्न सूची।

(मनोज कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

जिला-बक्सर त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों की सूची

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	विभाग में आवेदन प्राप्ति की तिथि	त्रुटि
1	2	3	4
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद, पिता-स्व0 मोतीलाल, ग्रा0+पो0-रघुनाथपुर, थाना-ब्रह्मपुर, जिला-बक्सर, पिन-802134 मो0-9798822984	21.01.2014	आवेदन पत्र पर दण्डाधिकारी का मुहर एवं हस्ताक्षर नहीं है।